तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 308/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/597) बअनवान नारायणसिंह बनाम अचलाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

नारायणसिंह

बनाम

अचलाराम इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुमेरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1, 2, 3, 9, 21, 23, 36,
3. श्रीमती लक्ष्मी पारीक अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 20, 24 से 28, 31 व 35
4. श्री हरेन्द्र सिंह इन्द्रा अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 40
5. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 44

आदेश

दिनांक 20 मई 2026

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ए/96/2025 अनवान नारायणसिंह बनाम अचलाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 11.09.2025 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 38, 217, 648, 668, 669, 700, 674, 833, 933, 934, 113, 210, 47, 52, 208, 337, 464, 515, 730, 108, 223, 239, 341, 341/1, 412, 533, 544, 666, 732, 733, 824, 831, 921, 711, 212, 413, 535, 538 ग्राम चावण्डा तहसील जोधपुर पूर्व में अपीलांट के पूर्वजों समरसिंह, सिमरथसिंह व धूड़सिंह के नाम दर्ज रहने से उसकी पुश्तैनी भूमि है। प्रत्यर्थीगण द्वारा गलत सजरा बनाकर वादग्रस्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आराजीयात अपने नाम दर्ज करवा ली। नामांतरकरण संख्या 898 एवं 897 बिना किसी आदेश के स्वीकृत किये गये है। अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। रेस्पोडेंट्स वर्तमान राजस्व रेकर्ड की आड़ में वादग्रस्त आराजीयात का बेचान/हस्तांतरण करने तथा मौके की स्थिति परिवर्तन करने पर आमादा है। इसलिए प्रथमइदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। अपीलांट द्वारा विचाण न्यायालय के समक्ष अपने केस को बखूबी साबित किये जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को अपास्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि है तथा रेस्पोडेंट्स मौके पर काबिज काश्त है। कानूनन रेकर्डेड खातेदारान् को बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्य के अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. को सुने बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से इंकार किया है। अपीलांट द्वारा अंतरिम आदेश के विरुद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 308/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/597) बअनवान नारायणसिंह बनाम अचलाराम इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा मौके पर काबिज काश्त है। कानूनन मौके पर काबिज एवं रेकर्डेड खातेदारान् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। जहां तक पुश्तैनी आधार पर अपीलांट के खातेदारी अधिकारों के निर्धारण का प्रश्न है, वे मूल वाद में जरिये साक्ष्य तय होने है।

यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स को सुने बिना अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से इंकार किया है। अप्रार्थीगण/रेस्पोडेंट्स की तामील उपरांत अपीलांट के पास विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही का समुचित अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में मामला निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय को मामला प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिसम्मत निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर